कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com   Phone/Fax-0135-2767611

संख्याः– 665 / FP/UK/Others/29354/2017 देहरादूनः दिनांक 6– सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद–टिहरी गढवाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नगर पंचायत गजा के नव सृजित नगर पंचायत गजा में कूड़ा निस्तारण हेतु 0.20 हे0 वन भूमि नगर पंचयत गजा को प्रत्यावर्तन हेतु।

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक–08बी0/यू0सी0पी0/09/36/2022/एफ0सी0/355 दिनांक 08–06–2022 के क्रम में।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS** दिनांक 08.06.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 433/12–1 दिनांक 30.08.2022 से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	The project is not a site-specific activity. Details of alternatives examined and the reason for their rejection is not furnished. The State Government is requested to provide complete justification establishing its inescapability for locating the project in the forest area.	**बिन्दु संख्या–01** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि उक्त परियोजना एक स्थल विशिष्ट गतिविधि नही है, किन्तु कूड़ा निस्तारण हेतु वर्तमान में कोई अन्य कूड़ा निस्तारण स्थल उपयुक्त न होने के कारण ग्रामीणों एव अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा क्षेत्र में यदा–कदा कूड़ा फेका जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को असुविधायें हो रही है, तथा भारत सरकार द्वारा संचालित स्वच्छ भारत मिशन शहरी योजना की छवि भी धुमिल हो रही है। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवादी क्षेत्र से दूर वृक्ष विहीन वन भूमि का चयन कूड़ा निस्तारण हेतु किया गया है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त क्षेत्र का आर0सी0सी0 पिल्लरों द्वारा सीमांकन तथा सीमांकित क्षेत्र के अन्दर ईटों/पत्थरों की दीवारों से भी किया जायेगा ताकि निस्तारित कूड़ा किसी भी दशा में इधर उधर न फैले एवं क्षेत्र की सुन्दरता बनी रहे।
2	The adverse impacts of the waste disposal on the nearby forests and wildlife are not provided with the proposal. State Government may submit the measures to mitigate the ill effects of the proposal on the forests & wildlife.	**बिन्दु संख्या–02** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अवगत कराना है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात उक्त स्थल में वासरत वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सभी उपायों को किया जायेगा जिस हेतु उनके द्वारा मु0–3.36 लाख का वन्यजीव मिटिगेशन प्लान तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसकी प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–01)**
3	'No' is mentioned for Environment Clearance (EC) at para H in part I. However, EC is required for trenching ground. State Government is requested to provide the EC for the proposal.	**बिन्दु संख्या–03** के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे ट्रेचिंग ग्राउंड जिसका सैनेटरी लैंडफिल में निस्तारण किया जाता है तथा 05 मिट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा उत्सर्जित करने वाली निकायों को पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, किन्तु नगर पंचायत गजा एक नवसृजित नगर पंचायत है जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का कार्य किये जाने हेतु निकाय द्वारा वर्णित वनभूमि का वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर प्रस्तुत किया गया है, तथा उक्त भूमि पर सैनेटरी लैंडफिल का निर्माण भी नही करवाया जायेगा तथा निकाय की जनसंख्या वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 2098 है, जिसके अनुसार निकाय में कूड़ा उत्सर्जन की मात्रा केवल 0.5 मिट्रिक टन से भी कम है। इस सम्बन्ध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली 08 अप्रैल 2016 की गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है जिसकी प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–02)**

P.T.O-1/2

	NPV is calculated at old rates. State Government is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rates.	**बिन्दु संख्या–04** के कम में अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी की कैल्क्यूलेशन शीट भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3/2011–एफ0सी0(Vol-I) दिनांक 06–01–2022 द्वारा निर्धारित गणना पत्र नई दरानुसार तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर भाग–01 में तथा भाग–02 के एडिशनल कॉलम में अपलोड कर दी गयी है, जिसकी मूलप्रति मय संलग्नकों के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–03)**
5	Plantation scheme of 100 trees to be planted in blank spaces is submitted. State Government is requested to submit the plantation scheme of planting 400 trees mentioning the name and geo-coordinates of the area along with geo-referenced digital map of the area.	**बिन्दु संख्या–05** के कम में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 100 वृक्षों के स्थान पर 400 वृक्षों का संशोधित वृक्षारोपण प्रॉक्कलन तैयार कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है जिसमें वृक्षारोपण स्थल का नाम, जी0पी0एस0 लोकेशन, जीयो रेफरेंस्ड एवं टोपोशीट मैप की मूल प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है, जिसकी मूल प्रति मय संलग्नकों के अग्रिम काय्रवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–04)**
6	In District profile given in Part II the data related to CA area is not commensurate with the forest land diverted. State Government may review the same.	**बिन्दु संख्या–06** के कम में अवगत कराया गया है कि जनपद टिहरी गढवाल के अन्तर्गत 02 वन प्रभाग (नरेन्द्रनगर वन प्रभाग एवं टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी) पड़ते है, तथा नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा केवल अपने क्षेत्रान्तर्गत किये गये क्षतिपूरक वनीकरण की प्रगति का विवरण ही भाग–02 के District profile में अंकित किया गया है।
7	Muck disposal plan not found uploaded. State Government may submit/upload the complete muck disposal plan.	**बिन्दु संख्या–07** के कम में अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित होने वाले मलवे का पूर्ण उपयोग कूडा निस्तारण हेतु चयनित स्थल के समतलीकरण हेतु ही किया जाना है, तथा किसी भी दशा में वन भूमि अथवा अन्य स्थलों पर नही फेका जायेगा। **(संलग्नक–05)** तथा स्थल का सीमांकन ईटों/पत्थरों की दीवारों द्वारा किया जायेगा जिस हेतु उक्त परियोजना में मलवा निस्तारण योजना लागू नही होता है। जिस कारण से उक्त प्रकरण के सापेक्ष प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल प्लान प्रस्तुत/अपलोड नही की गयी है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

06/9/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या / FP/UK/Others/29354/2017 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 433/12–1 दिनांक 30.08.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।
3. अधिशासी अभियन्ता, नगर पंचायत, गजा, टिहरी गढ़वाल।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,